समाचार–प्रकाशनार्थ :–

दो मिनिट का मौन रखकर शहीदों को याद किया

रतलाम 30 जनवरी । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान करने वाले शहोदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11:00 बजे निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निगम सभागह में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किये व दो मिनिट का मौन रखकर शहीदों को याद किया।

आनंद है तो जीवन है– नगर निगम आयुक्त श्री झारिया नए भारत की गाथा ,रंगोली से की साझा

रतलाम 30 जनवरो । मध्यप्रदेश राज्य आंनद संस्थान द्वारा आयोजित आनंद उत्सव के अंतर्गत नगर निगम रतलाम द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को हनुमान ताल पर किया गया ।स्वच्छता थीम पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता में बालक ,बालिका तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रतलाम आनंद क्लब के सभी आनंदक ने स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नंबर एक पर लाने की भावना को चित्रित करती रंगोली बनाई ।

खूबसूरत रंगोलियों को देखकर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि यदि मुझे रंगोली प्रतियोगिता का निर्णय करना पड़ता तो मैं सभी रंगोलियों को प्रथम पुरस्कार देता। उन्होंने सभी रतलामवासियों से अपने शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मध्यप्रदेश राज्य आनंद संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों के जीवन मे से तनाव दूर करने के लिए खेल व सांस्कृतिक आयोजन द्वारा आनंद उत्सव मनाया जाना बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अब इस आनंद को अपनी प्रतिदिन की जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिये। तनाव ही कम उम्र में बीमारियों के होने की वजह है। जिंदगी में आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। आनंद है तो सब कुछ है।

पर्यावरणविद श्री खुशहाल सिंह पुरोहित ने कहा कि हम सभी प्रकृति के साथ आनंदित रह सकत हैं इसलिए आनंद क्लब पर्यावरण संरक्षण पर भी कार्यक्रम जारी रखे। मप्र जन अभियान परिषद के जिला प्रभारी रत्नेश विजयवर्गीय ने शहर को स्वच्छ,सुंदर व प्लास्टिक के निपटान के लिए प्लास्टिक की बोतल में रैपर,प्लास्टिक थैली भरकर इको ब्रिक बनाना बताया।

सीमा अग्निहोत्री द्वारा जिले के विद्यार्थियों से बनवाई गई इको ब्रिक के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि 1 हजार ब्रिक एकत्र होने पर हनुमान ताल की खूबसूरती को निखारा जाएगा।

इस अवसर पर नगर निगम उपायुक्त श्री विकास सोलंकी व स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर नवोदित बैरागी व दिव्या पाटीदार जोशी ,जिले के इको क्लब मास्टर ट्रेनर कृष्णलाल शर्मा भी उपस्थित थे।

रंगोली प्रतियोगिता के लिए निर्णायक डॉ माणिक डांगे, डॉ अनामिका सारस्वत व जयश्री सोलंकी रहे। आनंद उत्सव के लिए जिला प्रभारी आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री व गिरीश सारस्वत ने कार्यक्रम का संचालन किया। आनंदक राजेंद्र चतुर्वेदी ने समस्त अतिथियों का आभार माना।

आनंद उत्सव की रंगोली प्रतियोगिता में आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री व गिरीश सारस्वत के साथ आनंदक अणिमा आचार्य, मधु परिहार पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेंद्र अग्निहोत्री , प्रतिभा सिन्हा, पवन मकवाना, सुषमा अग्निहोत्री , कृष्णलाल शर्मा, आशा पुरी, आशा रावत, धर्मा कोठारी ,विशाल वर्मा, विमलेश वर्मा, कमल सिंह राठौर, राजेंद्र चतुर्वेदी, विजय शर्मा, नरेंद्र त्रिवेदी, प्रीति गोठवाल, रामनिवास राठौर ने सहयोग किया। आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री ने कहा कि मात्र 14 से 28 जनवरी तक ही आनंद उत्सव नहीं था, रतलाम आनंद क्लब द्वारा आनंद के लिये सतत गतिविधियां जारी रहेगी ।

रंगोली प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे–बालिका वर्ग–प्रथम –दीप्ति पोरवाल, द्वितीय–याशिका टाँक, तृतीय–प्रियंका गौड़, बालक वर्ग–प्रथम –आकाश शर्मा, द्वितीय–आयुष शर्मा, तृतीय–रोहित यादव, महिला वर्ग–प्रथम–निधि जैन,रिद्धि जैन, द्वितीय–राधा सांखला तृतीय– स्तुति अग्निहोत्री, आशा पूरी।

उद्यान पर्यवेक्षक, झोन प्रभारी व माली निलंबित कुश सांगते को वार्ड 35 के प्रभार से हटाया स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ सूचना–पत्र

रतलाम 30 जनवरी । 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथी पर नगर निगम कायालय के सामने स्थित गांधी उद्यान में समय पर ताला नहीं खोलने व साफ–सफाई नहीं पाये जाने के संबंध में नागरिकों द्वारा नाराजगी प्रकट किये जाने पर उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल पारा, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, माली नारायण गेहलोत को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया साथ ही श्री कुश सांगते को वार्ड क्रमांक 35 के प्रभार से मुक्त किया गया इसके अलावा स्थायीकर्मी माली श्री मनीष–पन्नालाल का 7 दिवस का वेतन काटा गया। उक्त लापरवाही के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

इंजीनियर कुरेशी, दशोत्तर, सहा0 वर्ग–2 गेहलोत की 1–1 वेतनवृद्धि रोकी

रतलाम 30 जनवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक द्वारा 18 जनवरी को अमृत सागर कन्सर्वेशन के अन्तगत डिस्लेटिंग प्रपोजल अनुमोदन किये जाने के बाद भी इप्को को प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेशी, श्री अरविन्द दशोत्तर व सहायक वर्ग–2 श्री कैलाश गेहलोत की 1–1 वेतनवृद्धि रोकी व कम्प्युटर आपरेटर श्री पुष्पेन्द्र सिंह को कार्य से बर्खास्त किया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

रतलाम 30 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त पकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

लक्कड़पीठा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 59.68 लाख व जलकर 12.80 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 30 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/–

व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 3,82,093/– व जलकर 94,240/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

30 जनवरी को 44 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 30 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 29 जनवरी रविवार को 44 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

30 जनवरी रविवार को डम्पर से 18870, ट्रेक्टर से 4695, काम्पेक्टर सूखा कचरा 11020 व काम्पेक्टर गीला कचरा 10110 किलो इस तरह कुल 44695 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

8584 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 30 जनवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 30 जनवरी रविवार तक 8584 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85.84 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 30 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 191 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 30 जनवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निदेशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 30 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने को कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियां में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.स.वि. / हेमन्त / 30.01.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.